एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 07/2021
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः फरवरी 19 ,2021

विषयः क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्याः10974/2020 जीशान उर्फ जानू बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य, क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्याः13521/2020 बलवीर सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य तथा क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्याः14300/2020 दूधनाथ यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.01.2021 के अनुपालन हेतु निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित रिट याचिकाएं सम्बन्धित अभियुक्तों द्वारा टॉप टेन अपराधी चिन्हित करते हुए उनका फोटो थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा इस कार्यवाही से उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होने को लेकर योजित की गयी थीं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई के दौरान इस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्याः 23/2020 दिनांकित 06.07.2020 में दिये गये निर्देशों की संवैधानिकता पर भी विचार किया गया तथा निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये-

(i) The policy/circular dated 06.07.2020 is intra vires Articles 14, 15 and 21 of the Constitution.

(ii) The DGP, UP is directed to forthwith remove the names/identities of Top-10 criminals along with their criminal antecedents from the flysheet board from all the police stations. He is also directed to ensure that a circular in the light of this judgment is sent to all the police heads of the districts so as to ensure strict compliance.

(iii) The circular shall also provide that any violation of this judgment would not only invite disciplinary action but also criminal prosecution under appropriate provisions including payment of compensation from the erring official.

(iv) The benefit of this judgment will not be available to proclaimed offenders and fugitives in law.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों से स्पष्ट है कि डीजी परिपत्र संख्याः 23/2020 दिनांकित 06.07.2020 पूर्णतः संवैधानिक है, जिसका अनुपालन किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

मा0 न्यायालय द्वारा टॉप टेन के रूप में चिन्हित अपराधियों के नाम / पहचान तथा आपराधिक इतिहास सम्बन्धित थानों के फ्लाईशीट बोर्ड पर प्रदर्शित करने से रोक लगा दी है किन्तु फरार अपराधियों (fugitives in law) तथा उदघोषित अपराधियों (proclaimed offenders) के नाम और पहचान प्रदर्शित किये जाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

मा0 न्यायालय द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक अभियोजन तथा क्षतिपूर्ति के लिये भी उत्तरदायी बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित न्यायिक निर्णय का भलीभाँति अध्ययन करलें तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में इस प्रकार का दृष्टांत प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

19/2/24

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों, थाना प्रभारियों को मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों को भलीभाँति अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।